



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली दिनांक-06.09.2025

थाना बिनौली पुलिस ने चैकिंग के दौरान बाद पुलिस मुठभेड घायलावस्था में एक हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 02 जिंदा व 02 खोखा कारतूस व मो0सा0 एचएफ डीलक्स बिना नम्बर प्लेट बरामद ।

संक्षिप्त विवरण/कार्यवाही -

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में थाना बिनौली पुलिस द्वारा अपराधों की रोकथाम एवं शांतिर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा माखर पुलिया पर चैकिंग की जा रही थी, जिसके दौरान 03 बाईक सवारों को इशारा करके रोकने का प्रयास किया गया लेकिन वह नहीं रुके और पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी गयी। आत्मरक्षार्थ हेतु थाना बिनौली पुलिस द्वारा की गयी जबावी कार्यवाही में बाद पुलिस मुठभेड़ एक अभियुक्त को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 02 जिंदा व 02 खोखा कारतूस व मो0सा0 एचएफ डीलक्स बिना नम्बर प्लेट बरामद हुई है। अन्य फरार 02 अभियुक्तों की काँम्बिंग कर तलाश की जा रही है।



उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

नोट- उक्त अभियुक्त थाना सिंघावली अहीर का हिस्ट्रीशीटर है, जिसका एच0एस0 नं0 1452/A है व इसके विरुद्ध पूर्व में जनपद बागपत व अन्य जनपदों में 08 से अधिक अभियोग पंजीकृत हैं ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

राजा उर्फ सलमान पुत्र युसूफ निवासी नई बस्ती सिंघावली अहीर थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत (घायल)

बरामदगी का विवरण

- घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 खोखा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस ।
- एक मोटरसाईकिल एचएफ डीलक्स बिना नम्बर प्लेट ।

गिरफ्तार अभियुक्त राजा उर्फ सलमान का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 109/20 धारा 188/298/323/352 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

2-मु0अ0सं0 191/20 धारा 307/504/506 भादवि व 3(2)5 एससी एसटी एकट थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

3-मु0अ0सं0 192/20 धारा 25/27 आर्म्स एकट थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

4-मु0अ0सं0 259/22 धारा 379 भादव थाना लोनी बार्डर जनपद गाजियाबाद ।

5-मु0अ0सं0 265/23 धारा 379/411 भादवि थाना जानी जनपद मेरठ ।

6-मु0अ0सं0 302/23 धारा 414 भादवि व 3/25 आर्म्स एकट थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

7-मु0अ0सं0 31/25 धारा 13 जुआ अधिनियम थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

8-मु0अ0सं0 93/2025 धारा 317(2)/345(3) BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट
थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

- 1-प्र0नि0 राकेश कुमार शर्मा थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2-व0उ0नि0 श्री नरेश चन्द यादव थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 3-उ0नि0 श्री राहुल यादव थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 4-उ0नि0 श्री दुर्गेश कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 5-उ0नि0 श्री नीलकान्त सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 6-है0का0 481 गुरदीप सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 7-है0का0 313 सत्यवीर शर्मा थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 8-है0का0 440 राशिद थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 9-है0का0 714 रविन्द्र कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 10-है0का0 354 नीलेश कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 11-का0 892 तेजवीर थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 12-का0 240 तरुण कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा

दिनांक-06.09.2025

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 261/25 धारा
316(2)/352/351(3)/308(2) बीएनएस व 66 C आईटी एक्ट में वांछित 01
अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 14.08.2025 को थाना खेकडा पर वादिया ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त शहजाद पुत्र अब्दुल रसीद निवासी सीलमपुर दिल्ली द्वारा उसका मोबाइल व गहने ले लिए वापस मांगने पर नहीं दिये तथा गाली-गलौच की व उसकी इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी से फोटो



निकालकर उन पर अश्लील कमेंट लिखकर वायरल किया तथा उसको जान से मारने की धमकी दी व उससे 15 लाख रुपये की डिमाण्ड की न देने पर बदनाम करने की धमकी दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 261/25 धारा 316(2)/352/351(3)/308(2) बीएनएस व 66C आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 261/25 धारा 316(2)/352/351(3)/308(2) बीएनएस व 66 C आईटी एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

शहजाद पुत्र अब्दुल रसीद मूल निवासी मौहल्लाकरौला मुरादाबाद जिला मुरादाबाद। हालपता गौण्डा मौजपुर साईं मन्दिर के पास थाना मौजपुर दिल्ली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-निरीक्षक अपराध श्री ओमप्रकाश आर्य थाना खेकडा जनपद बागपत।
- 2-उ0नि0 श्री नितिन कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक- 06/09/2025

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा 01



वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार वारण्टी/अभियुक्त का नाम व पता-

आबाद पुत्र इमामुद्दीन निवासी ग्राम बरसिया थाना सिंघवाली अहीर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1-उ0नि0 श्री धीर सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

2-है0का0 429 सिंहराज नागर थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

3-है0का0 155 अमित कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।